OFFICE OF THE DISTRICT& SESSIONS JUDGES (HQs):DELHI

CIRCULAR.

Subject: Monthwise statement of leaves availed by officials.

All the Readers of the courts, Sr.AO (J), A.O (J) and Branch Incharges of all the Districts are hereby directed to send the report of leaves availed by the officials posted in the Courts /Branches, duly forwarded by their Presiding Officers of the courts and Officer Incharges of the branch concerned, on the first day of next month henceforth to the Leave Section of the concerned Districts.

It is also directed to Readers of the courts, Sr.AO (J), A.O (J) and Branch Incharges of all the Districts to send the report of leaves availed by the officials posted in the Courts /Branches w.e.f 1st of January 2019 to 30th April 2019 immediately duly forwarded by their Presiding Officers of the courts and Officer Incharges of the branch concerned.

Non -Compliance of above circular will be viewed seriously and disciplinary action will be taken against erring officials, as per rules.

(TALWANT SINGH)
DISTRICT &SESSIONS JUDGE (HQrs) DELHI

N30857-31557-/Admn.I/II/III/Leave/2019

Dated, Delhi the 15/5/19

Copy forwarded for information and necessary action to:

- The District & Sessions Judge, West District/ North East / East /Shahdara/ North/North West/ South/South East/South West/ New Delhi and District &Sessions Judge cum Special Judge CBI (PC ACT) Rouse Avenue Court to kindly circulate the same amongst the staff working under their control.
- 2. The Principal Judge (HQs), Family Courts, Dwarka, Delhi.
- 3. The Member Secretary of DLSA.
- All the Judicial Officers at Central/West/North-East / East /Shahdara/ North/North West/ South/South East/South West/ New Delhi and District &Sessions Judge cum Special Judge CBI (PC ACT) Rouse Avenue Courts Delhi, New Delhi.
- The DDOs of all Districts, Delhi, New Delhi.
- All the Readers/Sr. AOs(J)/AOs(J)/Branch In-charges of all Districts, Courts Delhi, New Delhi with the direction to ensure the strict compliance of the circular with letter and spirit.
- 7. P.S to undersigned.
- 8. For uploading on centralized website through LAYERS.
- 9. For uploading on LAYERS.

DISTRICT &SESSIONS JUDGE (HQrs) DELH

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

ा । परिपन्न

विषयः - अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने के संदर्भ में।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (CCS)आचरण नियम, 1964 18(1) (ii) के संदर्भ में इस कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मबारियों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपना वर्ष 2018 तक(दिनाँक, 01.01.2019 को जैसी भी स्थिति थी)का वार्षिक अचल सम्पत्ति विवस्ण कार्यालय को दिनाँक 31 मई 2019 तक निर्धारित प्रपत्र पर अवश्य मेजें। यह प्रमॉर्मा क्रियर्स पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रपत्न पर अपनी वार्षिक अचल सम्पत्ति के विषय में सभी जनकारियां निश्चित रूप से भरकर दी जाएँ जैसे उत्तराधिकार के **हारा प्राप्त/अपने स्वामित्व में/ अपने हारा अर्जित/अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य** के नाम पर पट्टे या बन्धक पर रखी सम्पत्ति। तथा **इसके बाद भविष्य में अचल सम्पत्ति विवस्म प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी तक जमा की जाएगी।अचल सम्पत्ति** विवरण भरने की तारीख प्रत्येक वर्ष की 01 ज**नवरी से प्रारम्भ होगी। अतः सभी अधिकारी /कर्मचारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण निर्धारित समय के अन्तर्गत** जना करेंगे क्योंकि अवल सम्पत्ति विक्रण की स्थिति उनके वार्षिक गोपनीय सूचना (ACR) में परिलमित होगी।

अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवस्त दिया फाए एवम् "कोई परिवर्तन नहीं " या "पूर्व वर्ष की तस्क" जैसी अभिव्यक्तियां स्वीकार नहीं की जायेंगी। यदि किसी अधिकारी/कर्मवारी के पास कोई सम्पत्ति न**हीं है तो वह इसे रिक्त छोड़ने के स्थान पर ऐसा लिख सकता है कि उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है एवं यह** उसके द्वारा विधिवत रूप से इस्ताक्षास्ति होना चाहिए।

उक्त निर्देशों का सभी संबंधितों के द्वारा निष्ठा पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। उक्त निर्देशों से किसी भी प्रकार के विचलन को गम्भीस्ता से देखा जाएगा एवं गलती पर अधिकारी/कर्मचारी के खिलाम कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीस (मुख्यालय),

संख्या/प्रशाव.I,II एवं III/निजी पंजिका-परिव/2019/1149 30606-30856, तीस क्यारी न्यायासय,दिसी।

सूचना एवं जावश्यक कार्यवाडी हेतु उपरोक्त पत्र की प्रति प्रेवित की बादी है:-

 महायंजीयक, सम्मानीय दिली उच्च न्यायालय, नई दिली, इस अनुरोध के साथ उपरोक्त परिपत्र से प्रतिनियुक्ति आधार पर/ परिवर्तित अमता में आप के अधीनस्थ तैनात इस कार्याक्रय के कार्यस्त कर्मचारियों को अकात करवारे।

2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,पश्चिम, उत्तर, उत्तर- पश्चिम, दक्षिण- पूर्व,नई दिली, पूर्व,उत्तर-पूर्व एवं शाहदरा जिला, दिली/नई दिली, इस अनुरोध के साथ उपरोक्त परिपन्न को आप अपने संबंधित जिले में अपने अधीनस्थ कर्नचारियों को परिवालित करवाएं।

- 3. प्रधान न्यायाचील,परिवार न्याय**लय (मुख्यालय),दारका न्यायालय परिसर, नई दिली, इस अनुरोध के साथ उपरोक्त सूचना से प्रतिनियुक्ति आधार** पर/ परिवर्तित क्षमता में आप के अवीनस्थ तैनात इस कार्यालय के कार्यसा कर्मवास्थिं को अवनत करवाएं।
- अध्यक्ष, दिली न्यायिक अकादमी, द्वारका, नई दिली, इस अनुरोध के साथ उपरोक्त सूक्ता से प्रतिनियुक्ति आधार पर/ परिवर्तित समता में आप के अधीनस्थ तैनात इस कार्यालय के कार्यरत कर्मचारियों को अवगत करवाएं।
- सचिव,दिली विधिक सेवा समिति,पटियाला न्यायालय, इस अनुरोध के साथ अपरोक्त सूचना से प्रतिनियुक्ति आधार पर/ परिवर्तित समता भें आप के अधीनस्थ तैनात इस कार्यालय के कार्यरत कर्मचारियों को अवगत करवाएं।
- सभी न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति आधार पर/ परिवर्तित क्षमता में आप के अधीनस्थ तैनात इस कार्यालय के कार्यस्त कर्मवास्थिं को उपरोक्त सूचना से अवगत करवाएं।
- सभी न्यायिक अधिकारी (केन्द्रीय जिला)इस अनुरोध के साथ उपरोक्त सूचना को आप के अधीनस्थ तैनात इस कार्यालय के कार्यस्त कर्मधारियों को उपरोक्त सुबना से अवगत करवाएं।
- सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/शाखा प्रभारी, उपरोक्त सूचना को आप इस कार्यालय में कार्यल्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करवाएं।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक) सामान्य अनुमाग, संदर्भ पुस्तिका में परिवृद्ध के संकलित करने ठेतु।
- 10. निजी सचिव कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तीस कारी न्यायालय दिली।
- 11. संबंधित कर्मचारी निजी पंजिका (प्रशासन-।,॥६॥।) तीस हजारी न्यायालय दिली।
- 12. हिन्दी अनुभाग तीस हजारी न्यायालय दिली।
- 13. लेयर्स पर अद्यतन (Uploading) हेतु।
- 14. लेयर्स के माध्यम से केन्द्रीय वेबसाईट पर अद्यक्त (Uploading) हेतु।

लीवर बाजारी न्यायावया दिखी।